/ /पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल / /

Email- adg_commpolicing@mppolice.gov.in Ph. no. 0755-2443533

क्रमांक– पु.मु. / अमनि / सा0पु0 / ग्रा.न.र.स. / एफ–60 / /18, दिनांक. /10/18

प्रति,

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोपाल / इंदौर
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश

विषय: ग्राम/नगर रक्षा समिति सदस्यों की डेटा बैंकिंग हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश एवं एस.ओ.पी. (स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) |

-----*****------

म.प्र. ग्राम रक्षा समिति अधिनियम १९९९ एवं नियम २००३ के परिपालन में प्रदेश के समस्त जिलों में गठित ग्राम / नगर रक्षा समितियों के सदस्यों की डेटा बैंकिंग हेतु म.प्र. पुलिस की वेबसाईट पर एक अतिरिक्त वेबपेज लिंक किया गया है जिसकी प्रविष्ठियां सी.सी.टी.एन.एस. सॉफ्टवेयर के अन्य सेवा वाले कॉलम में ग्राम / नगर रक्षा समिति में की जा सकेंगी| उक्त डेटा एंट्री हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निम्नानुसार है :-

1. ग्राम एवं नगर रक्षा समिति के प्रत्येक सदस्य की डेटाएंट्री करने का दायित्व थाना प्रभारी का होगा जिसके एक्सेस हेतु **User I.D. / Password** पूर्व से ही थाना प्रभारी को उपलब्ध है|
2. ग्राम एवं नगर रक्षा समिति के कॉलम में सदस्य से सम्बंधित आवश्यक प्रविष्ठियां (*) कॉलम में अनिवार्य रूप से दर्ज होने पर ही फॉर्म सबमिट किया जा सकेगा |
3. अन्य सामान्य प्रविष्ठियां भी यथासंभव रूप से प्रविष्ठ की जाना उचित होगा|
4. जिला पुलिस अधीक्षक ग्राम एवं नगर रक्षा समितियों के संचालन बावत जिला रक्षा अधिकारी के रूप में किसी निरीक्षक स्तर के अधिकारी को एवं थाना रक्षा अधिकारी के रूप में सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को नामांकित करेंगे |
5. जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक ग्राम / नगर रक्षा समिति में से किसी एक सदस्य को मुख्य रक्षक के रूप में नामांकित किया जावेगा |
6. ग्राम कोटवार / ग्राम पटेल रक्षा समिति के स्थायी सदस्य कहलाएँगे |
7. प्रत्येक रक्षा समिति हेतु नामांकित किये गये सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं अल्पसंख्यक सदस्यों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जावे |
8. प्रत्येक जिले में गठित जिला रक्षा समिति बोर्ड द्वारा रक्षा समिति के सदस्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों परीक्षण, सुनवाई और निदान सुनिश्चित किया जावेगा |
9. ग्राम /, नगर रक्षा समिति सदस्य के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायत के प्रमाणित होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी | ऐसी स्थिति में थाना रक्षा अधिकारी सदस्य को समिति की सदस्यता से पृथक कर उसको जारी किया गया परिचय पत्र एवं आवंटित सामग्री आदि वापस जमा करायी जावेगी|

10. ग्राम / नगर रक्षा समिति सदस्य को परिचय पत्र जारी करते समय वैधता अधिकतम 3 वर्ष रखी जावे एवं अधिकतम आयु सीमा अवधि 45 वर्ष को ध्यान में रखते हुए जारी अवधि की वैधता तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जावे |
11. परिचय पत्र का नवीनीकरण प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात् किया जावे |
12. ग्राम रक्षा समिति अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित कर्तव्यों के अनुसार सदस्यों को निर्दिष्ट कर्तव्यों के लिए आहूत किया जा सकेगा एवं सदस्यों से सम्बंधित समस्त आवश्यक रिकार्ड हार्ड कॉपी में एवं रजिस्टरों में संधारित करना होगा |
13. ग्राम रक्षा समिति अधिनियम- १९९९ एवं नियम – २००३ मप्र पुलिस की वेबसाईट के सामुदायिक पुलिसिंग कॉलम पर उपलब्ध है |
14. नियमानुसार नामांकित किये जाने वाले सदस्य की योग्यता / अहर्ताएँ निम्नानुसार होंगी :
    a. शारीरिक रूप से समर्थ और सक्षम होना चाहिए |
    b. स्थानीय ग्राम / वार्ड का निवासी हो |
    c. आयुसीमा वर्ग 20 से 45 के बीच होना चाहिए |
    d. किसी भी आपराधिक मामले में सिद्धदोष अथवा अपराधिक प्रकरण में विचाराधीन न हो|

(पुलिस महानिदेशक म.प्र. द्वारा अनुमोदित)

हस्ता०

(अनिल कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
सामुदायिक पुलिसिंग
पुलिस मुख्यालय, म.प्र. भोपाल

क्रमांक– पु.मु. / अमनि / सा0पु0 / ग्रा.न.र.स. / एफ–60 / 229 / 18, दिनांक. 08 / 10 / 18

प्रतिलिपिः सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही बावत |

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को उनके पत्र पु.मु./रा.अ.ब्यूरो//केस-4/3080/18 भोपाल दिनांक 04.10.18 के सन्दर्भ में मप्र.पुलिस की वेब साईट के सामुदायिक पुलिसिंग के कॉलम में अपलोड करने बावत |
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक मप्र.|
3. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक मप्र.|

8/10

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
सामुदायिक पुलिसिंग
पुलिस मुख्यालय, म.प्र. भोपाल